क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।

सूचना

1. आवेदन ऑनलाईन प्रविष्ट करने की तिथि **-05.08.2024 से 07.08.2024**
आवेदन परिवहन विभाग के बेवसाईट सिटिजन पोर्टल पर ऑनलाईन स्वीकृत किया जायेगा। विभाग द्वारा अधिसूचित मार्ग पर ही आवेदन करेंगे, अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। समय सारणी 24 घंटे (रेलवे की समय सारणी के अनुरूप) के प्रारूप में होनी चाहिए।
(स्थायी, प्रतिहस्ताक्षर, नवीकरण एवं वाहन प्रतिस्थापन)
2. ऑनलाईन प्रविष्ट किये गये आवेदन को संलग्न विहित प्रपत्र में कार्यालय में समर्पित करने की तिथि**-08.08.2024 एवं दिनांक-09.08.2024 (अपराह्न 05:00 बजे तक)**
3. समय सारणी का प्रकाशन **-12.08.2024**
4. आपत्ति देने की तिथि **-13.08.2024,14.08.2024 एवं 16.08.2024(अपराह्न 04:00 बजे तक)**
5. प्राधिकार की बैठक की तिथि **-27.08.2024 (मंगलवार) अपराह्न 03:30 बजे से।**
नोट :-(1) प्राधिकार में समर्पित किये जाने वाले आवेदन पत्र विभागीय पत्रांक-5518, दिनांक-02.09.2021 में दिये गये निदेश के आलोक में पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से अंकित होना एवं आवेदन पत्र का सभी कॉलम भरा हुआ रहना आवश्यक है। आवेदन पत्र के साथ जो शपथ पत्र दिया जाएगा, उसे विहित प्रपत्र में पूर्ण विवरण के साथ समर्पित करना होगा। साथ ही विभागीय निदेश के आलोक में सभी कागजातों को जमा करना होगा। आवेदन के साथ अद्यतन तीन वित्तीय वर्षों का आयकर एवं पेशाकर के भुगतान से संबंधित साक्ष्य एवं पैन कार्ड समर्पित करेंगे, अन्यथा आपके आवेदन पत्र पर बैठक में विचार नहीं किया जाएगा।
6. Online प्रविष्ट आवेदन की एक प्रति व विहित प्रपत्र में समय सारणी (ऑनलाईन समय-सारणी की प्रति सहित) एवं सभी वांछित अद्यतन कागजात, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि के साथ निर्धारित तिथि व समय तक कार्यालय में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाय अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. आपत्ति के साथ धारित इस प्राधिकार से निर्गत परमिट (समय सारणी सहित) की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। आपत्ति से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराना आपत्तिकर्त्ता की जिम्मेवारी होगी अन्यथा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा। प्रत्येक आपत्ति का आपत्ति शुल्क 1000.00 होगी।
8. वाहन से संबंधित सभी मान्य कागजात अद्यतन नहीं रहने की स्थिति में आवेदन/आपत्ति पत्र को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
9. आवेदन पत्र/आपत्ति की अंतिम तिथि को निर्धारित समय के बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन/आपत्ति स्वीकार नहीं किये जाएँगे।
10. आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क एवं परमिट शुल्क दोनों एक ही साथ चालान के रूप में जमा करना होगा। आवेदक अपना ई-मेल एवं मोबाईल नं0 आवेदन पत्र में वर्णित करना सुनिश्चित करेंगे।
11. आवेदन पत्र में वर्णित मार्ग सरकार द्वारा अधिसूचित मार्ग के अनुरूप होनी चाहिए। आवेदन पत्र में अधिसूचित मार्ग की सं0 दर्शाना होगा। साथ ही इसकी छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
12. बैठक की कार्यवाही के प्रकाशन के पश्चात् सभी वांछित कागजात एक माह के अन्दर जमा कर परमिट प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। एक माह के पश्चात् कोई दावा मान्य नहीं होगा।
13. सभी आवेदनकर्त्ता/आपत्तिकर्त्ता/विद्वान अधिवक्ता बैठक के एक घंटा पूर्व कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।

01.08

Scanned with CamScanner

14. सभी विद्वान अधिवक्ता अपने संबंधित वाहन स्वामी का वकालत नामा बैठक की तिथि को निर्धारित समय से 02 घंटा पूर्व कार्यालय में समर्पित करेंगे।

15. आवेदन के साथ वाहन स्वामी का वाहन के साथ चारों तरफ का रंगीन फोटो संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

(अनुलग्नक - यथोक्त)

आयुक्त–सह–अध्यक्ष के आदेशानुसार

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।

ज्ञापांक –01–01 / 2023 / परि0 230, दिनांक 01/08/2024

प्रतिलिपि – श्री नीरज कुमार, आई0टी0 सहायक, आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।

Scanned with CamScanner